



भारत में शराब वनियमन

प्रलमिस के लयि:

मेथेनॉल, एथेनॉल, राषट्रीय सवासथय मशिन, सातवीं अनुसूची, नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने हेतु राषट्रीय कार्य योजना, राषट्रीय मानसकि सवासथय नीति (2014), गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और नयितरण के लयि राषट्रीय कार्य योजना एवं नगिरानी ढाँचा, आबकारी अधनियम, 1944, राषट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति (NSPS) 2022

मेन्स के लयि:

भारत में शराब के सेवन की समस्या, भारत में शराब के नयिमन से संबंघति प्रावधान और चुनौतयिँ, मानव शरीर पर शराब के सेवन का प्रभाव ।

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्योँ?

भारत में शराब के सेवन में लगातार वृद्धि हो रही है, जो क सवासथय जोखमिँ, हसिा, अपराध, आत्महत्याओं और वत्तितीय संकटों से संबंघति अच्छी तरह से प्रलेखति संबंघों के बावजूद, एक एकीकृत राषट्रीय रणनीति द्वारा अनयितरति है, जसिसे एक व्यापक राषट्रीय शराब नयितरण नीति और कार्यक्रम की तत्काल आवश्यकता महसूस की जा रही है ।

भारत में शराब सेवन के लयि मुख्य प्रेरक कारक क्या हैं?

- भारत में शराब का प्रचलन: NFHS-5 के अनुसार, 10 से 75 वर्ष की आयु के 14.6% लोग (16 करोड़) भारत में शराब का सेवन करते हैं, जसिमें 23% पुरुष और 1% महिलाएँ शामिल हैं ।
 - भारत 2.6 मिलियन वकिलांगता-समायोजति जीवन वर्ष (Disability-Adjusted Life Years- DALY) और 6.24 ट्रिलियन रुपए (2021) की सामाजकि लागत के साथ, भारी मात्रा में शराब सेवन के मामले में वशिव स्तर पर सबसे ऊपर है ।
 - अधिक सेवन करने वाले राज्य: छत्तीसगढ़, त्रपुरा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, गोवा; हाई डसिऑर्डर प्रविलेंस (> 10%): त्रपुरा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश ।
- प्रमुख प्रेरक कारक:
 - बायोसाइकोसोशल/जैवकि-मानसकि-समाजकि नरिधारक: शराब का उपयोग आनुवंशकि प्रवृत्ति द्वारा प्रेरति होता है, क्योँकि यह [मसतषिक की पुरस्कार प्रणाली \(brain's reward system\)](#) को सक्रयि करता है, जसिसे यह निकोटीन या कोकीन की तरह व्यसनकारी बन जाता है ।
 - मनोवैज्ञानकि रूप से, इसका उपयोग दाब, दुश्चति से निपटने या उत्साह की तलाश के लयि किया जाता है ।
 - सामाजकि रूप से, शहरी जीवनशैली, साथयिँ का दबाव (peer pressure) और मीडिया में ग्लैमराइज्ड चत्तिरण (glamorized media portrayals) जैसे कारकों ने इसके उपयोग को सामान्य बना दिया है ।
 - वाणजियकि नरिधारक: शराब के उपयोग को [सुरोगेट वजिज्ञापन](#), प्रभावशाली वपिणन और OTT कंटेंट के माध्यम द्वारा बढ़ावा दिया जाता है ।
 - पूर्व-मशिरति पेय और स्वादयुक्त स्परिटि जैसे उत्पाद नवाचार युवाओं को आकर्षति करते हैं ।
 - खुदरा दुकानों, ऑनलाइन डिलीवरी और आकर्षक पैकेजिंग के माध्यम से सुगम उपलब्धता दृश्यता को बढ़ाती है । नमिन लागत वाली भारतीय नरिमति भारतीय शराब (IMIL) ग्रामीण गरीबों को लक्षति करती है, जबकि बढ़ती शहरी आय सामर्थ्य बढ़ाती है ।
 - नीतगित अंतराल: वनियामक खामयिँ, उत्पाद शुल्क राजस्व पर राज्य की नरिभरता, तथा एकीकृत राषट्रीय नीति का अभाव हानिकारक शराब के उपभोग को अनयितरति रूप से जारी रहने में सक्षम बनाता है ।

भारत में शराब के उपयोग से संबंघति प्रमुख नयिम क्या हैं?

- **राज्य स्तर:** शराब वनियमन संवधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के अंतर्गत आता है, जिससे राज्यों को इसके उत्पादन, बिक्री और वितरण पर विशेष अधिकार प्राप्त होता है, जिसके परिणामस्वरूप अंतरराज्यीय कानूनी विधि तैयार हो सकती हैं।
 - बहार, गुजरात, नगालैंड और मणिपुर जैसे राज्यों में शराबबंदी लागू है, जबकि अन्य राज्यों ने प्रतिबंध लगाने का प्रयोग भी किया है।
 - कुछ राज्य स्वर्गी और ज़ोमेटो जैसे प्लेटफॉर्मों के माध्यम से ऑनलाइन शराब वितरण की संभावना तलाश रहे हैं।
 - शराब पीने की कानूनी आयु 18 से 25 वर्ष तक है, मूल्य निर्धारण संबंधी वनियमन केवल 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मौजूद हैं।
- **राष्ट्रीय स्तर:** इसमें शामिल हैं:
 - नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPDDR) 2021-22 में शराब वनियमन को संबोधित किया गया है।
 - राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति (2014) शराब को मानसिक बीमारी से जोड़ती है।
 - राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2017) और राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति (NSPS) 2022 न्यंत्रण उपायों की सफारिश करती है।
 - गैर-संचारी रोगों की रोकथाम और न्यंत्रण के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना और नगरानी ढाँचा (NMAP) 2017-2022 एक राष्ट्रीय शराब नीति का समर्थन करता है।
 - आबकारी अधिनियम, 1944 शराब के उत्पादन और वितरण को न्यंत्रित करता है, जिसमें अवैध निर्माण के लिये दंड का प्रावधान भी शामिल है।
 - अनुच्छेद 47 (राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत) में प्रावधान है कि राज्य स्वास्थ्य के लिये हानिकारक मादक पेय और औषधियों के उपभोग का प्रतिबंध करने तथा लोक स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार करने का प्रयास करेगा।

भारत में शराब वनियमन की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- **खंडित एवं असंगत नीतियाँ:** शराब राज्य का विषय होने के कारण भिन्न-भिन्न नीतियाँ बनती हैं, कोई एकीकृत राष्ट्रीय ढाँचा नहीं है, जिसके कारण राज्यों एवं मंत्रालयों के बीच असंगत वनियमन, परस्पर विरोधी दृष्टिकोण और कमज़ोर समन्वय होता है।
 - इसके अलावा खराब नगरानी के कारण अवैध शराब व्यापार, नाबालिगों द्वारा शराब पीने तथा लाइसेंसिंग और मूल्य निर्धारण मानदंडों का गैर-अनुपालन, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में, बढ़ जाता है।
- **राज्यों की राजस्व निर्भरता:** शराब उत्पाद शुल्क पर उच्च राजस्व निर्भरता, जो GST के दायरे से बाहर है, राज्यों को सख्त वनियमन या निषेध पर शराब की बिक्री को प्राथमिकता देने के लिये प्रोत्साहित करती है। इससे राजकोषीय हितों और सार्वजनिक स्वास्थ्य उद्देश्यों के बीच टकराव उत्पन्न होता है, जिससे प्रभावी शराब न्यंत्रण नीतियों में बाधा आती है।
- **वनियामक अंतराल और चोरी:** सरोगेट वजिज़ापन, सेलबिरिटी समर्थन और डिजिटल प्रभावित वजिज़ापन कानूनों में खामियों का फायदा उठाते हैं, जबकि ऑनलाइन वितरण प्रतिबंधों के बावजूद पहुँच को बढ़ाता है।
- **राजनीतिक-नौकरशाही गठजोड़:** अवैध शराब व्यापार में राजनीतिक संरक्षण और नौकरशाही की मालीभगत, भ्रष्टाचार और रश्वतखोरी द्वारा समर्थित, प्रवर्तन को कमज़ोर करती है और तस्करी के दंड से मुक्ति के साथ काम करने की अनुमति देती है।
- **कम सार्वजनिक जागरूकता और स्वास्थ्य साक्षरता:** मानसिक बीमारी, NCD, कैंसर और सामाजिक-आर्थिक नुकसान (जैसे गरीबी और घरेलू हिंसा) के साथ शराब के संबंध के बारे में सीमिति जागरूकता वनियमन और व्यवहार परिवर्तन की सार्वजनिक मांग में बाधा डालती है।

भारत में शराब संबंधी संकट का प्रभावी रूप से समाधान करने के लिये क्या से उपाय किये जाने चाहिये?

- **वहनीयता:** अत्यधिक उपभोग को हतोत्साहित करने हेतु उत्पाद शुल्क में वृद्धि की जाए, साथ ही यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि विशेष रूप से गरीब वर्गों में अवैध शराब की ओर रुझान न हो — इसके लिये आवश्यक सुरक्षा उपाय किये जाने चाहिये।
- **आवंटन:** शराब कर से प्राप्त राजस्व को सार्वजनिक स्वास्थ्य, नशा मुक्ति एवं पुनर्वास कार्यक्रमों के लिये विशेष रूप से आरक्षण किया जाना चाहिये, तथा पारदर्शी उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिये ताकि धन का दुरुपयोग और कॉर्पोरेट प्रभाव से बचाव हो सके।
- **सुलभता:** आवासीय क्षेत्रों, मॉल, फूड कोर्ट आदि में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाकर तथा Swiggy, Zomato, Blinkit जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन आपूर्ति की सीमिति कर भौतिक एवं डिजिटल सुलभता को न्यंत्रित किया जाना चाहिये, ताकि सामान्य उपभोग की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जा सके।
- **वजिज़ापन:** सरोगेट (प्रतिनिधि) और सोशल मीडिया प्रभावकों (influencers) द्वारा संचालित प्रचार पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिये, तथा सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म पर शराब-संबंधी सामग्री के एल्गोरिदमिक प्रसार को न्यंत्रित किया जाना चाहिये।
- **आकर्षण:** शराब की आकर्षक और आकांक्षात्मक प्रभाव को कम करने हेतु साधारण पैकेजिंग, स्पष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों को अनिवार्य किया जाए तथा दुकानों में होने वाले प्रचारात्मक प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिये।
- **जागरूकता:** तंबाकू न्यंत्रण की सफलताओं से प्रेरणा लेते हुए राष्ट्रव्यापी जन-जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिये, जिनमें शराब और कैंसर, मानसिक रोग, घरेलू हिंसा और गरीबी के बीच संबंधों को उजागर किया जा सके। यह अभियान विशेष रूप से युवाओं और संवेदनशील समुदायों को लक्षित किया जाने चाहिये।
- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI):** डिजिटल भ्रामक जानकारी, प्रचार सामग्री और अवसरों को लक्षित करने वाली गतिविधियों का पता लगाने एवं उन्हें न्यंत्रित करने के लिये AI उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिये। साथ ही, नीति उल्लंघनों की नगरानी और प्रवर्तन में भी इनका सहयोग लिया जाए।
- **राष्ट्रीय स्तर की नीति:** एक राष्ट्रीय शराब न्यंत्रण नीति एवं कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिये, जो समन्वित एवं जनस्वास्थ्य-केंद्रित दृष्टिकोण को सुनिश्चित करे। यह नीति लाभ के बजाय जनहित, राजस्व के बजाय रोकथाम, तथा अल्पकालिक राजकोषीय लाभ के बजाय दीर्घकालिक सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता दे।

निष्कर्ष

भारत में बढ़ता हुआ शराब संकट खंडति राज्तीय नीतियों से आगे बढ़कर तत्काल एवं समन्वति कार्रवाई की मांग करता है । शराब की बढ़ती खपत और उससे संबंधति दुष्परणामों पर अंकुश लगाने के लयि जनस्वास्थ्य और सामाजकि न्याय पर आधारति एक समग्र राष्ट्रीय शराब नयित्रण नीति अत्यंत आवश्यक है ।

दृष्टिमेन्स प्रश्न:

प्रश्न: भारत में बढ़ती शराब की खपत जनस्वास्थ्य और शासन व्यवस्था के लयि गंभीर चुनौतियाँ उत्पन्न करती है । एक राष्ट्रीय शराब नयित्रण नीति की आवश्यकता पर चर्चा कीजयि तथा इससे नपिटने के लयि प्रमुख उपाय सुझाइए ।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न. बसिफनिल A (BPA), जो चनिता का कारण है, नमिनलखिति में से कसि प्रकार के प्लास्टकि के उत्पादन में एक संरचनात्मक/मुख्य घटक है? (2021)

- (a) नमिन घनत्व वाले पॉलैथिलीन
- (b) पॉलिकारबोनेट
- (c) पॉलैथिलीन टैरेफ्थेलेट
- (d) पॉलविनाइल क्लोराइड

उत्तर: (b)

प्रश्न. नमिनलखिति में से कसिमें 'ट्राइक्लोसन' के वदियमान होने की सर्वाधकि संभावना है, जसिके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावन में रहने को हानिकारक माना जाता है? (2021)

- (a) खाद्य पररिक्षक
- (b) फल पकाने वाले पदार्थ
- (c) पुनःप्रयुक्त प्लास्टकि के पात्र
- (d) प्रसाधन सामग्री

उत्तर: (d)